प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ...275........... दिनांक ....13/10/23...........................

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 13(1)(बी) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13 (1)(ई) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .339......... समय ....4:40pm...........
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 22-2-1995 से 12-7-2023 तक
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12-7-2023

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूरब दिशा, करीबन 275 किलोमीटर
(2) पता – उदयपुर व जोधपुर
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री विक्रमसिंह
(2) पिता का नाम : –
(3) आयु : –
(4) राष्ट्रीयता : –
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर।
(7) पता : –

7. अज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा पिता रामेश्वर लाल, निवास 19 एमपी कॉलोनी सेक्टर 14 उदयपुर तत्कालीन अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ़।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति

1. आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ़ द्वारा अपनी वैध आय से 3,10,83,976 रूपये की परिसम्पतियां अधिक अर्जित करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य –

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

मामलात हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामवीर शर्मा निवासी 311 भानुपुर आबूरोड जिला सिरोही अधिकृत प्रतिनिधि फर्म दामोदर कन्स्ट्रक्शन की लिखित रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर के द्वारा दिनांक 12-07-23 को प्रक्रियानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर परिवादी श्री रविन्द्र शर्मा से 4.00 लाख रूपये रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण करने पर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिषाशी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चित्तोडगढ को पकडा जाकर बाद ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा, अधिषाशी अभियन्ता के विरूद्ध ब्यूरो में प्रकरण संख्या 187/23 दिनांक 12-07-23 पंजीबद्ध कराया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ट्रेप अधिकारी) के द्वारा दिनांक 12-07-23 को ही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के चित्तोडगढ डाक बंगला में स्थित सरकारी आवास की खानातलाशी नियमानुसार ली गई। खानातलाशी में मिले घरेलू सामान इत्यादि की कीमत एवं मिली अवैध नगद राशि के संबंध में मौके पर फर्द मूर्तिब की गई ।उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान संख्या 19, आशुतोष पुरम, एम.पी. कोलोनी उदयपुर की नियमानुसार खाना तलाशी श्री रतनसिंह पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो एस-यू उदयपुर के द्वारा दिनांक 12-07-23 को ली गई। खानातलाशी में मिले घरेलू सामान इत्यादि की कीमत मौके पर मूर्तिब की गई फर्द में अंकित की गयी। खानातलाशी में मिली नोट गिनने की मशीन तथा अत्यधिक मिली अवैध नगद राशि 24,57,000 रूपये को मौके पर ही नियमानुसार जब्त की गई, फर्द मूर्तिब की गई ।

इसी प्रकार जांच से पाया गया कि आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं उसकी पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला के एचडीएफसी बैंक शाखा हिरणमगरी सेक्टर नं. 14 उदयपुर में स्थित संयुक्त बैंक लॉकर संख्या 82 में मिली अवैध नगद राशि 20,91,000, इसी प्रकार बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर में स्थित बैंक लॉकर संख्या 14 में मिली अवैध नगद राशि 42,84,000 एवं सोने के आभूषण की मौके पर वेल्यूवेशन की रिपोर्ट अनुसार कीमत 14,55,818 एवं चांदी के आभूषण की मौके पर वेल्यूवेशन की रिपोर्ट अनुसार कीमत 26092, इस प्रकार उपरोक्तानुसार मिली अवैध राशि, सोने-चांदी के आभुषणों की कुल 57,65,910 रूपये कीमत होती है। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा से पूछताछ की गई । जांच से पाया गया कि आरोपी श्री राजेन्द प्रसाद लखारा जो मूल निवासी नागोरी गेट जोधपुर शहर का रहने वाला होकर आरोपी के पिता श्री रामेशवर लाल लखारा जो तकनीकी सहायक, कार्यालय महाराणा प्रोधोगिकी कृषि विश्व विद्यालय जोधपुर से वर्ष 2008 में सेवानिवृत हुए हैं एवं आरोपी की माता का नाम श्रीमती भगवती देवी लखारा है, जो की गृहणी हैं। आरोपी के माता-पिता वर्तमान समय में मकान नं. 3-ई-49, प्रभात नगर हिरणमगरी से.नं. 5 उदयपुर में रहते हैं। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की जन्म दिनांक 1-10-1972 होकर ये दिनांक 22-02-1995 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर प्रथम नियुक्ति सा.नि.वि उदयपुर में हुई। उसके बाद वर्ष 2001-02 से माह मार्च 2004 तक सा.नि.वि राजसमन्द में पदस्थापन रहा। तत्पश्चात वर्ष 2004 से 2021 तक सानिवि उदयपुर में ही विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहा। इसी दौरान वर्ष 2008 को आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पदौन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर हुई थी। तत्पश्चात वर्ष 2020 में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदौन्नति हुई थी। उसके बाद माह अप्रेल 2021 से माह नवम्बर 2021 तक पदस्थापन सा.नि.वि डूंगरपुर में रहा। तत्पश्चात माह नवम्बर 2021 से दिनांक 12-07-2023 तक आरोपी का पदस्थापन सा.नि.वि खण्ड चित्तौडगढ पर रहा हैं। इसी दौरान आरोपी को दिनांक 12-07-2023 को रिश्वती राशि लेते हुए ब्यूरो के द्वारा पकडा गया। आरोपी का विवाह श्रीमती ज्योतीबाला लखारा निवासी झालावाड से वर्ष 2000 को हुई है। आरोपी की शादी राज्य सेवा में आने के पश्चात हुई है। आरोपी ने स्वयं की शादी में करीब 3.00 लाख रूपये का व्यय किया है। इस राशि को आरोपी की व्यय राशि में सम्मिलित किया गया है। आरोपी के द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला लखारा के नाम पर एक फर्म सदगुरू मेहर एन्टरप्राईजेज, 9 गोकूल विलेज बाईपास रोड, गीतांजली हॉस्पीटल के पास उदयपुर के नाम से वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर में लोहा, स्टील, फर्नीचर, सीमेन्ट, सेनेट्री, बिल्डिंग मेटेरियल ईत्यादि सामग्री हेतु उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक 29-07-2013 को कराया गया है, तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से उक्त फर्म का अस्थायी तौर पर कार्य हेतु ''डी''

श्रेणी का रजिस्ट्रेशन दिनांक 7–12–2017 को कराया गया हैं। लेकिन आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान सं. 19, आशुतोष पूरम, एम.पी कोलोनी उदयपुर की खानातलाशी दिनांक 12–07–2023 को ली गई तो तलाशी के दौरान उपरोक्त फर्म के उपरोक्त रजिस्ट्रशन के अलावा और कोई आय–व्यय से संबंधित, बिल बुक इत्यादि दस्तावेज ब्यूरो को नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा ने अपनी अवैध राशि को वैद्य राशि घोषित कराने के लिये अपनी पत्नि के नाम उपरोक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन करा कर आय प्राप्त करना बताया होगा लेकिन आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला की आय से संबंधित दस्तावेज ब्यूरो को तलाशी के दौरान नहीं मिले । इसी कारण से आरोपी की पत्नि की आय नहीं मानी गई हैं। उक्त फर्म में आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला लखारा का निवास का पता 3–ई–49, प्रभातनगर हिरणमगरी सेक्टर नं. 5 उदयपुर अंकित है, लेकिन वर्तमान समय में उक्त मकान में आरोपी के माता–पिता का रहना ज्ञात हुआ हैं। आरोपी के उदयपुर स्थित मकान की खानातलाशी के दौरान भी मकान से संबंधित कोई दस्तावेज इत्यादि नहीं मिले हैं। उक्त मकान आरोपी के पिता के द्वारा ही अपनी वैद्य आय से क्रय किया गया है या आरोपी की अवैध राशि से क्रय किया गया तथा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान सं. 19, आशुतोष पूरम, एम.पी कोलोनी उदयपुर की खानातलाशी दिनांक 12–07–2023 को ली गई 1000 रूपये के स्टाम्प पेपर मूल ही मिला, जिस पर दिनांक 18–4–2023 को यह अधिकार पत्र अंकित कर रखा है कि आवासीय भूखण्ड राजस्व ग्राम सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित होकर आराजी नं. 1152 से 1155, 1165 में स्थित भूखण्ड संख्या 06,07 एवं 08 की क्षेत्रफल 608 वर्गगज भूमि का रूपान्तरण श्री निर्मल कुमार जैन पिता श्री छोगालाल जैन निवासी 120 शास्त्रीनगर भीलवाडा के नाम नगर विकास प्रन्यास में नामान्तरण दिनांक 23–02–2005 को किया गया। तत्पश्चात उक्त तीनो भूखण्डों का नामान्तरण दिनांक 07–05–2022 को श्री कमलेश पिता श्री शान्तीलाल जैन निवासी मेन रोड सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के नाम किया गया। उक्त अधिकार पत्र के अनुसार केता श्रीमती ममता सोनी पत्नि विश्वास सोनी निवासी 431/4 सेक्टर नं. 4 हिरणमगरी उदयपुर एवं श्रीमती ज्योतीबाला लखारा पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा निवासी 3–ई–49 प्रभात नगर सेक्टर नं. हिरणमगरी उदयपुर के नाम दिनांक 18–4–2023 को सम्पादित किया गया जो दिनांक 19–4–2023 को उप पंजीयक उदयपुर प्रथम के कार्यालय में पंजीयन हुआ हैं, जिसमें उक्त तीनो भूखण्डो की मालियत (कीमत) 1,05,03,673 रूपये का अंकन किया गया हैं, लेकिन उक्त तीनो भूखण्डों के लेन–देन के संबंध में उक्त अधिकार पत्र में कोई राशि का अंकन नहीं है। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के आयकर पेन नं. AASPL1442M है तथा इनकी पत्नि श्रीमती ज्योती बाला के पेन नं. ACFPL2732B तथा आधार नं. 6600 0592 8535 है। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा ने पूछताछ पर बताया है कि उसका एक आवासीय मकान जो गोकूल विलेज, सविना उदयपुर में करीब 1100 वर्गफिट पर बना हुआ है, उक्त मकान में वर्तमान समय में आरोपी ने अपना साला श्री दिनेश लक्षकार जो अविवाहित होकर एक कुरियर कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। उक्त मकान में आरोपी के उक्त साला श्री दिनेश लक्षकार के अलावा आरोपी की सास रहती हैं, लेकिन खाना तलाशी के दौरान उक्त मकान से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं, आरोपी के बताये अनुसार उक्त मकान की अनुमानित कीमत 50,00,000 रूपये को आरोपी की सम्पत्ति में जोडा गया है। इसी प्रकार श्री दिनेश लक्ष्कार के नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10076117597 में दिनांक 6–7–23 को अन्तिम शेष राशि 88,080 मिली है, जिसे भी आरोपी की सम्पति में जोडा गया हैं। आरोपी के दो पुत्र है। बडा पुत्र श्री नील राठौर की उम्र 21 साल है। इसकी स्कूली शिक्षा सेन्ट एन्थोनी सिनियर सेकेण्डरी स्कूल उदयपुर से पॉचवी कक्षा तक उसके बाद विभिन्न स्कूलों में हुई है। वर्ष 2022–23 में बी–टेक की शिक्षा एस. एस. इन्जिनियरिंग कॉलेज उदयपुर से प्राप्त कर रहा है। पुत्र की स्कूली/कोलेज शिक्षा पर अनुमानित 1,57,000 रूपये व्यय हुए हैं एवं छोटे पुत्र श्री रामपुंज जिसकी उम्र 13 साल होकर कक्षा 9वीं में अध्यनरत है । इसकी स्कूली शिक्षा सेन्ट्रल अकादमी, हिरणमगरी उदयपुर में हुई है। जिसकी शिक्षा पर किया गया व्यय अनुमानित 98,000 रूपये होते हैं। इस प्रकार आरोपी ने दोनो पुत्रों की स्कूली/कोलेज शिक्षा पर अनुमानित 2,06,000 रूपये को आरोपी की व्यय राशि में सम्मिलित किया गया हैं। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा एवं इनकी पत्नि, दो पुत्र व साला

श्री दिनेश लक्ष्कार के विभिन्न बैंक खातों के संबंध में सूचना प्राप्त की गई, संबंधित बैंक खाते में ट्रेप दिनांक को अन्तिम जमा शेष राशि को आरोपी की सम्पति पक्ष में सम्मिलित की गई हैं। इसी प्रकार जांच के दौरान मिली चल/अचल सम्पतियों के दस्तावेजों के अनुसार उनकी कीमत आरोपी की सम्पति पक्ष में सम्मिलित की गई हैं। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के वेतन भुगतान से संबंधित वेतन स्टेटमेन्ट प्राप्त किये गये जिसके अनुसार वर्ष 1996-97 से माह अगस्त 1998 तक एवं वर्ष 2003-04 से लेकर 2008-09 तक का वेतन स्टेटमेन्ट संबंधित कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुआ है, शेष अवधि का वेतन स्टेटमेन्ट संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया गया हैं। जिस अवधि का वेतन स्टेटमेन्ट प्राप्त नहीं हुआ है, उक्त अवधि में आरोपी के मिलने वाली वेतन का आंकलन अनुमानित किया गया हैं, जिसके अनुंसार आरोपी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22-2-95 से दिनांक 14-7-2023 तक सकल वेतन के रूप में कुल 1,50,81,619 रूपये प्राप्त हुए है। उक्त सकल वेतन 1,50,81,619 रूपये में से आयकर कटौतियां 12,12,625 रूपये को घटाने के पश्चात् सकल आय 1,38,68,994 रूपये होती हैं। उक्त आय को आरोपी की आय में सम्मिलित की गयी है।

आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता के उपरोक्त सरकारी/रिहायशी/विभिन्न बैंक लॉकरो की तलाशी के दौरान कुल मिली अवैध नगद राशि कुल 89,67,000 रूपये बरामद हुए जिनकी नियमानुसार एफडीआर राष्ट्रीय कृत बैंक में दिनांक 25-7-2023 को करवाई गई हैं।

प्रपत्र – "अ"

आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ के द्वारा प्रथम नियुक्ति वर्ष दिनांक 22-2-1995 से पूर्व अर्जित की गयी सम्पति :-

क्र. सं.	विवरण	कीमत

-शून्य-

प्रपत्र – "ब"

आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ द्वारा चेक अवधि तक अर्जित की गई संपतियां –

क्र. सं.	विवरण	कीमत
1	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान नं. 19, आशुतोष पुरम, एमपी कोलोनी उदयपुर पर मिली नगद अवैध राशि	24,57,000
2	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के हिरायशी मकान नम्बर 19 आशुतोष पुरम की, खानातलाशी के दौरान मिले सामानों की कुल कीमत ।	6,01,700
3	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के सरकारी आवास संख्या बीबी/5, डाक बंगला परिसर, चित्तौडगढ की खानातलाशी के दौरान मिले सामानों की कुल कीमत–	77,500
4	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद सरकारी आवास संख्या बीबी/5, डाक बंगला परिसर पर मिली अवैध नगद राशि	1,35,000
5	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के एचडीएफसी बैंक शाखा हिरणमगरी सेक्टर नं. 14 उदयपुर में स्थित बैंक लॉकर संख्या 82 में मिली नगद अवैध राशि	20,91,000
6	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर में स्थित बैंक लॉकर संख्या 14में मिली नगद अवैध राशि।	42,84,000
7	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद के बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर में स्थित बैंक लॉकर संख्या 14में मिले सोने के आभूषण की मौके पर वेल्यूवेशन की रिपोर्ट अनुसार किमत 14,55,818 एवं चांदी के	14,81,910

	आभूषण की मौके पर वेल्यूवेशन की रिपोर्ट अनुसार किमत 26092 रूपये कुल किमत–	
8	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान नं. 19, आशुतोष पुरम, एमपी कोलोनी उदयपुर जो करीब 3600 वर्गफिट का भूखण्ड होकर इसके भूतल पर निर्माण कार्य कराया गया। भूखण्ड तथा भूतल पर कराये गये निर्माण कार्य पर किया गया अनुमानित व्यय राशि–	1,15,00,000
9	राजस्व ग्राम देवाली, गोवर्धनविलास के खसरा नं. 931मी. भूखण्ड संख्या 246 क्षेत्रफल 2800 वर्गफिट श्रीमती ज्योतीबाला पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मैं. मिनाक्षी प्रोपर्टी डिलर प्रोपराईटर श्री शान्तीलाल जैन से 1,99,000 रूपये में दिनांक 22-9-2005 को जरिये रजिस्ट्री कय किया गया एवं श्रीमती ज्योतीबाला लखारा द्वारा उक्त रजिस्ट्री पेटे 35,130 रूपये तथा उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु 2800 रूपये जमा कराये।	2,36,930
10	राजस्व ग्राम उदयपुर शहर के आराजी संख्या 1585 से 1592 भूखण्ड संख्या 5 आवासीय 1732.50 वर्गफिट न्यू माली कोलोनी का दिनांक 28-2-2014 में श्रीमती मोहनी चौधरी से श्रीमती ज्योतीबाला लखारा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 31,28,000 रूपये में कय किया गया जिसकी स्टाम्प ड्युटी 44,480 रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार उक्त भूखण्ड की कुल किमत–	31,72,480
11	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री हरिशंकर सुथार निवासी तीतरडी, सुथारों का मोहल्ला से राजस्व ग्राम तीतरडी के आवासीय मकान नं. 14 क्षेत्रफल 1181. 50 वर्गफिट 6-8-2021 को 28,00,000 रूपये में कय किया जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 2,10,300 रूपये जमा कराये इस प्रकार कुल किमत–	30,10,300
12	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री माननाथ निवासी जेतारण तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के खसरा 112, 113 रकबा 1.12 एवं 32.17 में से आधा 1/2 हिस्सा यानि करीबन 16.50 बीघा भूमि दिनांक 6-7-2021 को 1,00,000 रूपये में कय किया जिसके स्टाम्व व पंजीयन पेटे 28209 रूपये जमा कराये इस प्रकार कुल किमत–	1,28,209
13	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला पत्नि राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री प्रदीप जोशी निवासी शुभाषनगर से राजस्व ग्राम वरडा पटवार मण्डल वरडा उदयपुर के खसरा 1222 व 1340 रकबा 0.6400 हेक्टर में से आधा 1/4 हिस्सा यानि करीबन 0.1600 हेटर भूमि दिनांक 15-1-2021 को 4,60,000 रूपये में कय किया। जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 34500 रूपये जमा कराये इस प्रकार कुल किमत–	4,94,500
14	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता नि. 3फ 29 प्रभागत नगर उदयपुर द्वारा श्रीमती वैशाली नेभनानी पत्नि दीपक, दीपक नेभनानी पुत्र प्रताप नेभनानी से ग्राम तीतरडी के खसरा संख्या 147,3217/147, 150 से 165 में भुखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 2800 दिनांक 19-8-2010 में 8,47,000 रूपये में कय किया जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 33880 रूपये जमा कराये इस प्रकार कुल किमत–	8,80,880
15	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री रमेशचन्द्र व्यास पानेरियों की मादडी उदयपुर को आवासीय भूखण्ड संख्या 01 राजस्व तीतरडी में 2234.25 वर्गफिट से दिनांक 20-5-2009 में 10,00,000 रूपये में कय कया जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 74410 व्यय किये गये, कुल किमत–	10,74,410
16	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद लखारा द्वारा श्रीमती राजकुमारी भार्गव पत्नि उमेश भार्गव निवासी युनिर्वसिटी रोड	23,24,890

	उदयपुर से राजस्व ग्राम सविना खेडा के खसरा संख्या 44 में भुखण्ड संख्या 79 क्षेत्रफल 2223 वर्गफिट दिनांक 5–7–2012 में 22,06,000 रूपये में कय किया जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 118890 रूपये जमा कराये इस प्रकार कुल किमत–	
17	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री ढगलाराम हाम्बड निवासी देवरिया, जेतारण पाली से राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 222 शिव सागर योजना, जोधपुर में स्थित में भुखण्ड संख्या 91, 2800 वर्गफिट दिनांक 22–7–2014 को 15,40,000 रूपये में कय किया गया। जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 15700 रूपये, इस प्रकार कुल कीमत–	15,55,700
18	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री सुरेशचन्द्र जैन व अनिल कुमार जैन निवासी उदयपुर से राजस्व ग्राम तीतरडी के खसरा संख्या 283 से 301 आवासी भूखण्ड संख्या 10, क्षेत्रफल 3820 वर्गफिट दिनांक 28–7–2006 को 6,40,000 रूपये में कय करने किया गया। जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 36,160 रूपये इस प्रकार कुल किमत–	6,76,160
19	आरोपी ने अपनी माता श्रीमती भवगतीदेवी लखारा पत्नि रामेश्वरलाल द्वारा श्री लूणकर मेहता नवासी जोधपुर के राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा संख्या 42 से 46, 35/1 की अभय योजना में एक आवासीय मकान क्षेत्रफल 1725 वर्गमीटर दिनांक 12–4–2017 को 26,92,000 रूपये में कय करने किया गया। जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 1,56,140 रूपये, इस प्रकार कुल कीमत–	28,48,140
20	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्री अमित पाण्डे निवासी 7/183 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर के राजस्व ग्राम उमरडा ग्राम पंचायत कानपुर के खसरा संख्या 7297 रकबा 1.3200 एवं आराजी संख्या 7298 रकबा 1.0500 कुल रकबा 2.3700 हेक्टर अर्थात 23700 वर्गमीटर भूखण्ड संख्या 22, क्षेत्रफल 7300 वर्गफिट दिनांक 5–3–2008 को 1,54,000 रूपये में कय किया गया। जिसके स्टाम्प व पंजीयन पेटे 23490 रूपये, इस प्रकार कुल कीमत–	1,77,490
21	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा का आवासीय मकान जो गोकूल विलेज, सविना उदयपुर में करीब 1100 वर्गफिट पर बना हुआ है, उक्त मकान में वर्तमान समय में आरोपी का साला दिनेश लक्षकार एवं इनकी माता (आरोपी की सांस) रहती हैं, उक्त मकान की अनुमानित कीमत –	50,00,000
22	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन वरना कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 सीसी 3889 को दिनांक 18 मार्च 2010 को 8,04,000 रूपये में कय किया। जिस पर एक बारीय कर, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 70,220 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त वाहन की कुल कीमत–	8,74,220
23	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन ईनोवा किस्ट्रा कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 यूडी 9991 को दिनांक 8 नवम्बर 2021 को 22,20,000 रूपये में कय किया। जिस पर एक बारीय कर, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 37963 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त वाहन की कुल कीमत–	22,57,963
24	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन होण्डा एक्टिवा 125 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 बीजे 6931 को दिनांक 4 जनवरी 2018 को 59635 रूपये में कय किया। जिस पर एक बारीय कर, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 5140 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त	64,775

	वाहन की कुल कीमत–	
25	आरोपी द्वारा अपने साले श्री दिनेश लक्षकार के नाम से वाहन होण्डा मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 बीडब्ल्यू जे 0545 को दिनांक 16 अक्टूम्बर 2019 को 60425 रूपये में क्रय किया। जिस पर एक बारीय कर, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 6190 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त वाहन की कुल कीमत–	66,615
26	आरोपी द्वारा मीना हिंगड के नाम से वाहन सुजूकी मोटरसाईकिल एक्सेस जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 बीडब्ल्यू 9582 को दिनांक 16 अक्टूम्बर 2019 को 60425 रूपये में क्रय किया। जिस पर एक बारीय कर, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 6190 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त वाहन की कुल कीमत–	66,615
27	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के मकान संख्या 19 आशुतोष पुरम सेक्टर नं. 14 एमपी कोलोनी उदयपुर की तलाशी के दौरान मकान के परिसर में एक मारूती सिफ्ट डिजार नं. आर.जे. 27 टी.ए. 8710 खडी मिली जो आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा द्वारा इस्तेमाल लिया जाना ज्ञात हुआ हैं। उक्त वाहन की अनुमानित किमत –	8,30,000
28	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम से बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिरणमगरी के खाता संख्या 661510110001893 में दिनांक 2–5–2023 को अन्तिम शेष राशि –	7,461
29	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पत्नि श्रीमती ज्योती बाला की फर्म सदगुरू मेहर इन्टरप्राईजेज के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10068387177 में दिनांक 21–3–2023 को अन्तिम शेष राशि –	1,99,115
30	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के साला श्री दिनेश लक्षकार के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10076117597 में दिनांक 6–7–23 को अन्तिम शेष राशि –	88,080
31	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के पुत्र नील राठोर के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10068367070 में अन्तिम शेष राशि –	65,608
32	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के पुत्र श्री रामपुंज राठोर के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10068312780 में अन्तिम शेष राशि –	2,88,758
33	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10068186538 में अन्तिम शेष राशि–	6,78972
34	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम आईडीएफसी फस्ट बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 10067016419 में अन्तिम शेष राशि –	4,15,106
35	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एसबीआई बैंक शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 00000020241557547 में अन्तिम शेष राशि –	27,252
36	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पत्नि श्रीमतीज्योतीबाला के नाम एचडीएफसी बैंक लिमि. शाखा हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 59107339737595 में अन्तिम शेष राशि –	5,13,713
37	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एचडीएफसी बैंक लिमि. शाखा	2,33,447

	हिरणमगरी उदयपुर के खाता संख्या 50100479409078 में अन्तिम शेष राशि –	
38	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला के नाम बैंक ऑफ बडौदा शाखा मार्केटयार्ड उदयपुर के खाता संख्या 16200100006003 में अन्तिम शेष राशि –	4,45,456
39	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एसबीआई बैंक शाखा एसबीएससी–31446 उदयपुर के खाता संख्या 00000061055319393 में अन्तिम शेष राशि –	4,69,472
40	आरोपी के पुत्र श्री नील राठोड के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 10352122002224 में दिनांक 3–6–19 को अन्तिम शेष राशि –	8,521
41	आरोपी के साले श्री दिनेश लक्ष्कार के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या 0458000100393410 में अन्तिम शेष राशि –	48,003
42	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पत्नि ज्योतीबाला की फर्म सदगुरू मेहर एन्टरप्राईजेज के नाम से पंजाब नैशनल बैंक शाखा टाउनहॉल उदयपुर के खाता संख्या 0458002100086857 में अन्तिम शेष राशि–	21,000
43	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा की पत्नि ज्योतीबाला की फर्म के नाम से युनियन बैंक ऑफ ईण्डिया शाखा न्यू फतहपुरा उदयपुर के खाता संख्या 394001010080638 में अन्तिम शेष राशि –	32,419
44	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एलआईसी नं. 181983972 जिसकी वार्षिक किस्त 2359 रूपये है, जिसमें जमा राशि–	65,255
45	श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एलआईसी नं. 181983936 जिसकी वार्षिक किस्त 5157 रूपये है, जिसमें जमा राशि–	48,836
	कुल योग–	**5,20,24,861**

<u>प्रपत्र – "स"</u>

आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ के द्वारा चैक अवधि में प्राप्त की गयी आय –

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	आरोपी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22–2–95 से दिनांक 14–7–2023 तक आलोच्य अवधि में सकल वेतन के रूप में कुल 1,50,81,619 रूपये प्राप्त हुए है। उक्त राशि में से आयकर कटौतियां 12,12,625 रूपये को घटाने के पश्चात वेतन से आय प्राप्त हुई।	1,38,68,994
2	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा श्रीमती बसन्ती देवी शर्मा पत्नि श्री नटवरलाल निवासी गोकुल विलेज उदयपुर को आवासीय भूखण्ड संख्या 01 राजस्व तीतरडी में 2234.25 वर्गफिट से दिनांक 15–7–2014 में 35,20,000 रूपये में विक्रय किया–	35,20,000
3	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतीबाला लखारा द्वारा श्री अशोक कुमार राठौड निवासी 59हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास उदयपुर को न्यू माली कोलोनी स्थित मकान को दिनांक 13–2–2019 को जरिये रजिस्ट्री 92,00,000 रूपये में विक्रय किया–	92,00,000

4	श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम एलआईसी पोलोसी नं. 181983936 पर मनी बैंक के अन्तर्गत प्राप्त कुल राशि –	60,000
5	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के नाम पर एलआईसी पोलोसी नं. 181983935 जो वर्ष 1998 से प्रारम्भ होकर प्रतिवर्ष प्रिमियम की राशि 4,367 रूपये के हिसाब से दिनांक 28-10-2020 तक कुल 1,00,441 रूपये जमा कराये है उक्त पोलोसी दिनांक 28-10-2020 को परिपक्व होने पर 2,30,330 रूपये प्राप्त हुए है। उक्त पोलोसी पर प्राप्त आय–	1,29,889
	कुल योग	**2,67,78,883**

<u>प्रपत्र – "द"</u>

आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चित्तौडगढ के द्वारा चैक अवधि में किया गया व्यय –

क्र. सं.	विवरण	कीमत
1	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा को उसकी सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान मिले वेतन में से आयकर की कटौतिया करने के पश्चात वेतन के रूप में कुल 1,38,68,994 रूपये प्राप्त हुए हैं, उक्त राशि का असत्यापनीय व्यय 1/3 राशि 46,22,998 रूपये का होना पाया गया है।	46,22,998
2	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के द्वारा वर्ष 2000 में स्वयं की शादी में किया गया अनुमानित व्यय–	3,00,000
3	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के पुत्र श्री नील राठौड जो तत्समय एसएस कोलेज उमरडा जिला उदयपुर में बी.टेक की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जिसकी स्कूली/कोलेज शिक्षा पर किया गया अनुमानित व्यय–	1,57,000
4	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के पुत्र श्री रामपुंज जो तत्समय सेन्ट्रल अकादमी से.नं. 3 उदयपुर में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत था। जिसकी शिक्षा में किया गया अनुमानित व्यय–	98,000
5	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन वरना कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 सीसी 3889 को दिनांक 18 मार्च 2010 को क्रय किया। उक्त वाहन के इन्शोरेन्स, रखरखाव इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	3,00,000
6	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन ईनोवा किस्ट्रा कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 यूडी 9991 को दिनांक 14.6.2023 को सेकेण्डहेण्ड क्रय किया। उक्त वाहन के इन्शोरेन्स, रखरखाव इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	35,000
7	आरोपी की पत्नि श्रीमती ज्योतिबाला लखारा के नाम से वाहन होण्डा एक्टिवा 125 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 बीजे 6931 को दिनांक 4 जनवरी 2018 को क्रय किया। उक्त वाहन के इन्शोरेन्स, रखरखाव इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	70,000
8	आरोपी द्वारा अपने साले श्री दिनेश लक्षकार के नाम से वाहन होण्डा मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 27 बीडब्ल्यू जे 0545 को दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को क्रय किया। उक्त वाहन के इन्शोरेन्स, रखरखाव इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	60,000
9	आरोपी के वाहन सुजूकी मोटरसाईकिल एक्सेस जिसके रजिस्ट्रेशन	30,000

	नम्बर आरजे 27 बीडब्ल्यू 7928 पर इन्शोरेन्स, रखरखाव इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	
10	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के रिहायशी मकान नं. 19, आशुतोष पुरम, एमपी कोलोनी उदयपुर पर लगे विद्युत/जल कनेक्शन इत्यािद पर किया गया अनुमानित व्यय–	1,65,000
	कुल योग	**58,37,998**

इस प्रकार समग्र जांच से पाया गया कि आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा के द्वारा आलोच्य अवधि 22-2-1995 से दिनांक 14-7-2023 तक कुल परिसम्पत्तियां 5,20,24,861 रूपये एवं व्यय राशि 58,37,998 रूपये को जोडने पर कुल 5,78,62,859 रूपये की कुल परिसम्पत्तियां अर्जित की है। उक्त अवधि में आरोपी को कुल 2,67,78,883 रूपये की आय प्राप्त हुई है। उक्त आय 2,67,78,883 रूपये में से कुल परिसम्पत्तियों की राशि 5,78,62,859 रूपये को घटाये जाने पर 3,10,83,976 रूपये की परिसम्पतियां अधिक पायी गई हैं, जो आरोपी की वैद्य आय से 116.08 प्रतिशत अधिक हैं। विस्तृत अनुसंधान से ही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं उसके परिजनों इत्यादि के नाम पर चल/ अचल परिसम्पतियां, बैंक खाते, शेयर, बॉण्ड, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि और मिलने की संभावना है, जो प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात ही विस्तृत अनुसंधान से ही उसकी पुष्टि हो सकेगी।

अतः जांच से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौडगढ द्वारा आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध जूर्म धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13 (1)(ई) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

(विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद लखारा पुत्र श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

19.X.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2944-47 दिनांक 19.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।